झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

डब्ल्यू0पी0 (एस0) सं0–1325 वर्ष 2017

धेना टुडू .... याचिकाकर्ता

बनाम्

झारखण्ड राज्य एवं अन्य .... उत्तरदातागण

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति (डॉ0) श्री एस0एन0 पाठक

याचिकाकर्ता के लिए :– श्रीमती सरोज कुमारी अग्रवाल, अधिवक्ता

श्री बाघराई सोरेन, अधिवक्ता

उत्तरदाताओं के लिएः– श्री कौस्तव रॉय, वरिष्ठ एस0सी0–III के जे0सी0

05/18.12.2017 याचिकाकर्ता ने उत्तरदाताओं को यह निर्देश देने के लिए इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है कि उसे आंगनवाड़ी केंद्र बैरियाबाद, दुमका के लिए अतिरिक्त आंगनबाड़ी सेवा पोषण परामर्शी (पोषण सखी) के पद पर नियुक्त किया जाए, जिसके लिए प्रतिवादी सं0 6 की नियुक्ति रद्द किया जाए, जिसे नियम के दायरे से बाहर नियुक्त किया गया है।

प्रतिवादी राज्य ने दिनांक 21.09.2015 के ज्ञापन संख्या 2126 के माध्यम से अतिरिक्त आंगनवाड़ी सेवा (पोषण सखी) के चयन के लिए एक दिशा–निर्देश जारी किया। उक्त दिशा–निर्देशों के अनुसार, उक्त पद के लिए न्यूनतम योग्यता मैट्रिक है और शैक्षिक योग्यता, निवास तकनीकी योग्यता और मैट्रिक के लिए 10 अंक आवंटित किए गए हैं, इसी तरह इंटरमीडिएट के लिए 15 अंक आवंटित किए गए हैं। कथित दिशा–निर्देश के अनुसार, प्रत्यर्थी ने सी0डी0पी0ओ0, मसलिया ग्राम सभा की अध्यक्षता में आंगनवाड़ी केंद्र बैरियाबाद,

दुमका के लिए अतिरिक्त आंगनवाड़ी सेविका (पोषण सखी) के पद पर नियुक्ति के लिए अप्रैल, 2016 में भर्ती नोटिस प्रकाशित किया। इसके अनुसरण में, याचिकाकर्ता, प्रत्यर्थी सं0 6 और दो अन्य उम्मीदवारों ने कथित पद के लिए आवेदन किया। याचिकाकर्ता का विनिर्दिष्ट मामला यह है कि उसने वर्ष 2016 में जे0ए0सी0 से 55.80 प्रतिशत के साथ इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण की है और उसके पास दो साल का अनुभव भी है, जबकि, प्रतिवादी सं0 6 ने वर्ष 2012 में 40.60 प्रतिशत के साथ इंटरमीडिएट पास किया है। हालांकि प्रत्यर्थियों के पास प्रमाण पत्र बहुत पहले से था, लेकिन उन्होनें अवैध और मनमाने ढंग से याचिकाकर्ता के प्रमाण पत्रों पर विचार नहीं किया और प्रत्यर्थी सं0 6 को नियुक्ति पत्र जारी किया है, हालांकि उसने याचिकाकर्ता से कम अंक प्राप्त किए हैं।

प्रत्यर्थी सं0 6 द्वारा प्राप्त अंकों के बारे में जानने के बाद, याची ने अतिरिक्त आंगनवाड़ी सेविका (पोषण सखी) के पद पर नियुक्ति के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देश के मद्देनजर अपने मामले पर विचार करने के लिए दुमका के उपायुक्त के समक्ष अभ्यावेदन दाखिल किया क्योंकि उसने प्रत्यर्थी सं0 6 से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। चूंकि याचिकाकताई के मामले पर विचार नहीं किया गया और न ही कोई नियुक्ति पत्र जारी किया गया और न ही प्रत्यर्थी सं0 6 की नियुक्ति रद्द की गई थी, याची इस रिट याचिका को दाखिल करके इस न्यायालय के समक्ष आया है।

याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता सुश्री सरोज कुमार अग्रवाल प्रस्तुत करती हैं कि प्रत्यर्थियों ने अवैध, मनमाना और दुर्भावनापूर्ण इरादों से प्रत्यर्थी सं0 6 को नियुक्त किया है। विद्वान अधिवक्ता आगे तर्क देती हैं कि याची ने प्रत्यर्थी सं0 6 से

अधिक अंक प्राप्त किए हैं और इस प्रकार उसे उक्त पद पर नियुक्त किया जाना चाहिए था। याची के प्रमाणपत्र प्रत्यर्थियों के पास भी थे, जो रिट याचिका में भी संलग्न किए गए हैं, जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि याची ने प्रत्यर्थी सं0 6 से अधिक अंक प्राप्त किए हैं और केवल प्रत्यर्थी सं0 6 के पक्ष में मदद पहुँचाने के लिए उसके प्रमाणपत्रों पर विचार नहीं किया गया। विद्वान अधिवक्ता आगे तर्क देती हैं कि याचिकाकर्ता द्वारा प्राप्त अंकों को ध्यान में रखते हुए, प्रत्यर्थी सं0 6 की नियुक्ति रद्द की जा सकती है और प्रत्यर्थियों को, विशेष रूप से, उपायुक्त को, याचिकाकर्ता को नियुक्ति पत्र देने का विचार करने का निर्देश दिया जा सकता है।

इसके विपरीत जवाबी हलफनामा दायर किया गया है। श्री कौस्तव रॉय, प्रत्यर्थियों की ओर से पेश होने वाले विद्वान अधिवक्ता, प्रति–शपथपत्र के पैरा सं0 16 की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित करते हैं और प्रस्तुत करते हैं कि रिट याचिकाकर्ता धेना टुडू द्वारा किए गए अभ्यावेदन पर विचार करने के बाद, दुमका के उपायुक्त ने पहले ही प्रत्यर्थी सं0 6, सनोती मुर्मू का चयन रद्द कर दिया है और इस पद के लिए रिट याचिकाकर्ता को नियुक्त/चयन करने का आदेश पारित कर दिया गया है और तदनुसार, रिट याचिकाकर्ता को उक्त पद के लिए चुना गया है। विद्वान अधिवक्ता आगे तर्क देते हैं कि प्रति–हलफनामे के अनुच्छेद 16 के मद्देनजर, राज्य ने पहले ही याची के मामले पर विचार कर लिया है और इस प्रकार, इस तथ्य को जाने बिना की नियुक्ति पत्र की पेशकश जारी की गई है, रिट याचिका जल्दबाजी में दायर की गई है और इस प्रकार, यह रिट याचिका निष्फल हो गई है।

चाहे जो भी हो, पक्षकारों की प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों को गौर करने के बाद, इस न्यायालय का विचार है कि याचिकाकर्ता के मामले पर विचार करने की आवश्यकता है।

अभिलेख पर लाए गए दस्तावेजों के अवलोकन से, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि याची ने प्रत्यर्थी सं0 6 से अधिक अंक प्राप्त किए हैं और प्रत्यर्थी सं0 6 को नियमों के दायरे से बाहर जाकर नियुक्त किया गया है। प्रत्यर्थी–प्राधिकारियों ने दुर्भावनापूर्ण इरादे के साथ याची द्वारा प्रस्तुत प्रमाणपत्रों पर विचार किए बिना, प्रत्यर्थी सं0 6 को नियुक्ति पत्र जारी किया है। हालांकि, यह प्रस्तुत किया गया है और एक हलफनामे के माध्यम से रिकॉर्ड पर लाया गया है कि प्रत्यर्थी–उपायुक्त ने पहले ही अतिरिक्त आंगनवाड़ी सेविका (पोषण सखी) के पद पर नियुक्ति के लिए याचिकाकर्ता के मामले पर विचार किया है और पहले ही प्रत्यर्थी सं0 6 की नियुक्ति को रद्द कर दिया है।

याचिकाकर्ता की नियुक्ति के लिए कोई नया निर्देश जारी करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, याचिकाकर्ता द्वारा यह विवादित किया गया है कि आज तक, उसे कोई नियुक्ति पत्र नहीं मिला है, इसलिए मैं प्रत्यर्थियों को इस आदेश की एक प्रति प्राप्त होने की तारीख से छह सप्ताह की अवधि के भीतर, यदि आज तक नियुक्त नहीं किया गया है, याची को नियुक्त करने का निर्देश देता हूँ। चूंकि, सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी सं0 6 की नियुक्ति पहले ही रद्द कर दी गई है, इसलिए किसी नए निर्देश की आवश्यकता नहीं है।

परिणामस्वरूप, रिट याचिका की अनुमति दी जाती है।

[(डॉ0) एस0एन0 पाठक, न्याया0]